न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2025 **दायर दिनांकः 09.04.2025**

उनवान

1. दुर्गालाल आयु 65 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बडोरा तहसील अटरू
2. धनराज आयु 63 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बडोरा तहसील अटरू
3. राधेश्याम आयु 61 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बडोरा तहसील अटरू
4. गायत्री बाई आयु 59 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति ब्राहमण निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

निर्णय **दिनाकः 30.06.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू में प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 207 का खसरा नं. 1010 का रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 1204 का रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 1452 का रकबा 0.90 है0, खसरा नं. 989/2678 का रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 990 का रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 5 का रकबा 2.45 हैक्टर आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा फौती नामान्तरण में वारिसान का नाम दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम सहवन से रामचन्द्र के स्थान पर चन्दा अंकित कर दिया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामचन्द्र है जो कि प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र व प्रार्थीगण के पिता के आधार

कार्ड आदि दस्तावेजो में भी रामचन्द्र नाम ही दर्ज है। ग्राम पंचायत बडोरा द्वारा भी जांच कर यह प्रमाणित किया गया है कि चन्दा व रामचन्द्र दोनों एक ही व्यक्ति है, दस्तावेजों के आधार पर सही नाम रामचन्द्र है। उक्त समस्त दस्तावेज की प्रति व ग्राम पंचायत बडोरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थीगण राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में अपने पिता का नाम चन्दा के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत अंकित कर देने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थीगण बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब को अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल बडोरा में आराजी खाता संख्या 207 का खसरा नं. 1010 का रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 1204 का रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 1452 का रकबा 0.90 है0, खसरा नं. 989/2678 का रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 990 का रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 5 का रकबा 2.45 हैक्टर में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्दा के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 दुर्गालाल पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बडौरा तहसील अटरू, Pw2 राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बडौरा तहसील अटरू व

Pw3 धनराज पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी बडौरा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बडौरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 207, आधार कार्ड धनराज, आधार कार्ड राधेश्याम, जन आधार कार्ड सुशिला बाई, आधार कार्ड गायत्री बाई, सरपंच ग्राम पंचायत बडौरा प्रमाण पत्र दिनांक 11.03.2025, बैंक पास बुक पंजाब नेशनल बैंक, जनआधार कार्ड मंजु बाई, मतदाता पहचान पत्र दुर्गालाल, मतदाता पहचान पत्र रामचन्द्र, आधार कार्ड दुर्गालाल, शपथ पत्र गवाहान का अवलोकन किया गया।

दुर्गालाल, धनराज एवं राधेश्याम तीनों भाई है तथा खाता संख्या 207 में सहखातेदार है जिन्होने चन्दा के स्थान पर रामचन्द्र होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू में प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 207 का खसरा नं. 1010 का रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 1204 का रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 1452 का रकबा 0.90 है0, खसरा नं. 989/2678 का रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 990 का रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 5 का रकबा 2.45 हैक्टर आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्दा के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ चन्दा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू में प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या नया 207 पुराना 199 का खसरा नं. 1010 का रकबा 0.45 है0, खसरा नं. 1204 का रकबा 0.38 है0, खसरा नं. 1452 का रकबा 0.90 है0, खसरा नं. 989/2678 का रकबा 0.18 है0, खसरा नं. 990 का रकबा 0.54 हैक्टर कुल किता 5 का रकबा 2.45 हैक्टर आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम चन्दा के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ चन्दा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां